

राजस्थानसरकार
निदेशालयकोषएवंलेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :-एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2021/अलेसे-III / 2255 दिनांक :- 02.12.2021

आदेश संख्या:- 510/2021-22

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिको को **हरि श्रन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), रानीरोड, उदयपुर-313001** में दिनांक 20.12.2021 से 24.12.2021 तक आयोजित होने वाले **कनिष्ठ लेखाकार** पद के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 20.12.2021 को प्रातः 09:30 बजे उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता हैं :-

क. सं.	कनिष्ठ लेखाकार का नाम (सर्व श्री)	लिंक नं.	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	आयुषी खण्डेलवाल	10646	अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर
2	मनसाराम बैरवा	13173	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, अजमेर।
3	कविता मीना	11375	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, उदयपुर (शहर)
4	पायल राव	33338	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, उदयपुर (शहर)
5	भजन डारा	12719	अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
6	कुणाल श्रीमाल	23332	अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
7	मोहिनी मीना	12538	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, अजमेर।
8	भीम कुमार वर्मा	10843	मुख्य वन संक्षरक, वन विभाग, उदयपुर।
9	मृगाक्षी शर्मा	12700	उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर।
10	जितेन्द्र चतुर्वेदी	33356	निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
11	दिनेश शर्मा	10324	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, जयपुर (ग्रामीण)
12	मोनिका जीनगर	23314	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, चित्तौड़गढ़।
13	सचिन चौधरी	13066	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, चित्तौड़गढ़।
14	मनीषा शर्मा	9925	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, भीलवाड़ा।
15	अंजली भवसार	10425	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, बासवाड़ा।
16	प्रीती व्यास	10387	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, बासवाड़ा।
17	विजयलक्ष्मी लौहार	10212	उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग, उदयपुर
18	मंयक कुमार अहारी	11559	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, डूंगरपुर।
19	राजेन्द्र कुमार शर्मा	13203	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, जयपुर (शहर) (वर्तमान में निदेशालय कोष एवं लेखा में कार्यरत)
20	आशीष कुमार सोनी	13236	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, जयपुर (शहर)
21	राजकमल शर्मा	10290	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, जयपुर (शहर)
22	देवेन्द्र कुमार ज्याणी	13187	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, जयपुर (शहर)
23	संजय पहाडिया	10195	डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लि., प्रतापनगर उदयपुर।
24	प्रदीप पूर्बिया	12046	डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लि., बलीचा उदयपुर।
25	जसवंत सिंह भाटी	10183	अतिरिक्त उपायुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
26	महिपाल सिंह दहिया	12696	डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लि., जालौर।
27	चम्पत लाल	11602	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, जालौर।
28	देवेन्द्र कुमार कसेरा	13248	प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज आर.एन.टी. चिकित्सा शिक्षा उदयपुर
29	शीतल पटेल	10530	एच.सी.एम रीपा , उदयपुर

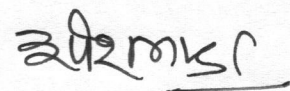
30	ज्योति मीना	10252	अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधानी निधि विभाग, उदयपुर
----	-------------	-------	---

उक्त प्रशिक्षण की अवधि एक सप्ताह की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कर्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी **कनिष्ठ लेखाकार** अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कर्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

बाहर से आने वाले संभागियों के ठहरने एवं भोजन की सुविधा संस्थान से सम्बद्ध अधिकारी प्रवास में नियमानुसार शुल्क के आधार पर उपलब्ध होगी।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2021/अलेसे-III / 2255

दिनांक :- 02.12.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, **हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), रानीरोड, उदयपुर-313001** को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कर्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग / कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
5. सम्बन्धित कर्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक III)